

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर राशमी(पीठासीन अधिकारी कैम्प कोर्ट) कैम्प :- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ^{केच}प्रशासन गांवों के संग
अभियान-2021

-: आदेश :-

प्र0सं0 :- 4/2/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" के आवेदन पत्र एवं रिपोर्ट पटवारी पटवार हल्का ^{केचा}....., भू अ0नि0 वृत्त ^{विधान}..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा ^{केचा}..... तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्बन्ध के खाता संख्या ³⁴⁵..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र. सं. | मौजा | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|----------|------|-------------|--------------------------------------|---|
| 1. | केचा | 345 | गौदावरी पत्नी स्व. मिठु नाई | गौदावरी पत्नी स्व. मिठु सैन |

^{AI}
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

क्रमांक: सरिश्ता/5-11(4/2)2021

दिनांक :- 15/11/21

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ^{गौदावरी पत्नी स्व. मिठु सैन}..... को सूचनार्थ।

^{AI}
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

